



डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश  
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू० / कुस०का० / स्था० / 2024 / 3687

दिनांक: 8 अगस्त, 2024

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य  
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय: स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के सफल आयोजन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 711097/2024 दिनांक 06.08.2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 06.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य "हर घर तिरंगा अभियान" एवं काकोरी ट्रेन एक्शन के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजाकर करना है।

2. सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या: 1/708747/2024 दिनांक 02.08.2024 द्वारा संस्कृति अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 31.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान को सफल बनाये जाने के संबंध में पत्र में उल्लिखित तिथिवार कार्यक्रमों के विवरणानुसार मनाये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र दिनांक 06.08.2024 तथा संस्कृति विभाग के पत्र दिनांक 31.07.2024 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(रीना सिंह)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रति कुलपति, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
3. परीक्षा नियंत्रक, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
4. निदेशक, सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
5. निदेशक, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा।
6. समस्त अधिष्ठाता, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
7. नोडल आफिसर, फार्मसी एवं मैनेजमेंट संकाय, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यक्रम आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. डा० आर० के० सिंह, उप कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
9. डा० डी०पी० सिंह, उप कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
10. सहायक कुलसचिव (भण्डार)/व्यवस्थाधिकारी/प्रभारी सुरक्षा, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
11. स्टाफ आफीसर, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(रीना सिंह)  
कुलसचिव

711097/2024

समयबद्ध/महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम०एम०एम०यू०टी०, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
7. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
8. निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
9. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ०प्र०।
11. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
12. निदेशक, आई०आर०डी०टी०, उ०प्र० कानपुर।
13. सचिव, प्रवेश एवं फीस विनियम समिति, लखनऊ।
14. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक, उ०प्र० (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०)

DR(D)  
गुप्त कामगार 4  
Reg  
6/8/24

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक:06-08-2024

विषय- स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के सफल आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य " हर घर तिरंगा अभियान" एवं काकोरी ट्रेन एक्शन के 100वें वर्षगाँठ के अवसर पर " काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

2. सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या: I/708747/2024 दिनांक: 02.08.2024 द्वारा संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक: 31.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) की प्रति प्रेषित की गयी है जिसके

द्वारा स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान को सफल बनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

2. संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक: 31.07.2024 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में " हर घर तिरंगा अभियान" एवं " काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है:

क्रमांक	दिनांक	कार्यक्रमों का विवरण
1.	13.08.2024	<ul style="list-style-type: none"><li>विभाग के अधीनस्थ समस्त संस्थानों में प्रार्थना सभा के समय/प्रातःकाल झंडागीत गायन का आयोजन किया जाए।</li><li>छात्र-छात्राओं के मध्य स्लोगन लेखन/पेंटिंग/निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए।</li></ul>
2.	13.08.2024	<ul style="list-style-type: none"><li>संस्थान स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन, स्वावलंबन एवं स्वदेशी के प्रति जन-जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।</li></ul>
3.	14.08.2024	<ul style="list-style-type: none"><li>वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए।</li></ul>
4.	14.08.2024	<ul style="list-style-type: none"><li>स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया जाए एवं काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी छात्रों को प्रदान की जाए।</li></ul>
5.	15.08.2024	<ul style="list-style-type: none"><li>संस्थान स्तर पर वृहद् झंडारोहण का कार्यक्रम किया जाए।</li><li>समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाए।</li></ul>

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया "हर घर तिरंगा" अभियान एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के सफल आयोजन हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यक्रमों का आयोजन कराते हुए संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक: 31.07.2024 में प्रदत्त अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक: यथोक्त।**

Signed by <sup>भवदीय,</sup>

Prabhakar Chandra Mishra  
संयुक्त सचिव।

Date: 06-08-2024 14:58:41

708 755/2024

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

मानिक चन्द्र,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम०एम०एम०यू०टी०, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
7. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
8. निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
9. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ०प्र०।
11. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
12. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक, उ०प्र० (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०)

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक:02-08-2024

विषय- "हर घर तिरंगा अभियान" एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के आयोजन हेतु मा० मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-2229/चार- 2024 दिनांक : 02.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान एवं काकोरी ट्रेन एक्शन के 100वीं वर्षगाठ के अवसर पर "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रदेश में हो रही तैयारियों हेतु मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 03 अगस्त, 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे, 5 कालिदास मार्ग पर एक समीक्षा बैठक आहूत की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हर घर तिरंगा अभियान एवं काकोरी ट्रेन एक्शन के 100वीं वर्षगाठ के अवसर पर आयोजित होने वाले " काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के संबंध में की गयी कार्यवाही/तैयारियों की सूचना शासन को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

AR(EST)



DR  
20/8/24

Signed by भवदीय,  
Manik Chandra

Date: 02-08-2024 16:29:00

अनु सचिव।

708747/2024

महत्त्वपूर्ण

प्रेषक,

मानिक चन्द्र,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम०एम०एम०यू०टी०, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
7. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
8. निदेशक, कमला नेहरु प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
9. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ०प्र०।
11. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
12. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक, उ०प्र० (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०)

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक:02-08-2024

विषय- स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान को सफल बनाये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या: 278/2024/2162/चार-2024 दिनांक: 31.07.2024 (छायप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान को सफल बनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध कराये गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यापक सहभागिता से "हर घर तिरंगा" अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक: 31.07.2024 में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

Signed by मानिक चन्द्र,

Manik Chandra

Date: 02-08-2024 16:26:36

अनु सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या- 278 /2024/ 2162 /चार-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2024

विषय:-स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत प्रदेश में 'हर घर तिरंगा' अभियान 2022 व 2023 का भव्यपूर्ण सफल क्रियान्वयन किया गया। प्रदेश के समस्त विभागों ने इन अभियानों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। विगत वर्षों में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त आवासित घरों, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों एवं समस्त शिक्षण संस्थानों पर क्रमशः लगभग 5 करोड़ एवं 4.5 करोड़ तिरंगा फहराते हुए कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस संबंध में सभी से यह भी अनुरोध किया गया था कि 15 अगस्त, 2023 के उपरान्त इन झण्डों को आजादी का अमृत महोत्सव के स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा। इस तरह से प्रत्येक घर में सुरक्षित इन झंडों को इस वर्ष पुनः दिनांक 13-15 अगस्त, 2024 के मध्य संचालित हर घर तिरंगा अभियान में उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जाए। झण्डों को पुनः उपयोग में लाने हेतु झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए 'हर घर तिरंगा' की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2- कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। इसी के दृष्टिगत पुनः दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य सम्पूर्ण देश में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जानी है:-

- (1) विगत वर्ष की भांति 'हर घर तिरंगा' अभियान हेतु झण्डों की अतिरिक्त आवश्यकता की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दो करोड़ झण्डों का उत्पादन करके की जायेगी, जिसका भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा एवं शहरी क्षेत्रों में झण्डों की आपूर्ति हेतु 50 लाख झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से किया जायेगा, जिसका भुगतान नगर विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (2) समस्त जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा झण्डा उत्पादन इकाईयों- जैसे एन०जी०ओ०, लघु उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योग, निजी सिलाई केन्द्र एवं अन्य उत्पादनकर्ताओं को सक्रिय करते हुए झण्डों का उत्पादन किया जाए।
- (3) राज्य हथकरघा निगम के पास उपलब्ध झण्डों की आपूर्ति नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanaadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4) जेम पोर्टल/ऑन लाइन शॉपिंग पोर्टल पर उपलब्ध झण्डों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आमजनमानस को प्रेरित किया जाए। शासन की दुकानों/पेट्रोल पम्पों/चरेलू गैस विक्रय केन्द्रों/ग्राम पंचायत भवनों/ तहसील/विकास खण्ड कार्यालयों/आंगनवाड़ी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों आदि में झण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(5) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक आमजनमानस को अपने-अपने घरों, कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/ औद्योगिक प्रतिष्ठानों/शैक्षणिक प्रतिष्ठानों/आंगनवाड़ी केन्द्रों/अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में एफ0एम0/रेडियो चैनल/स्थानीय केबिल नेटवर्क/प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक भीडिया/ टोल प्लाजा/बस स्टेशनों/मेट्रो स्टेशनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित किया जाए।

(6) समस्त सरकारी कार्यालय/शिक्षण संस्थान खादी से निर्मित ध्वज का ही आरोहण करेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा खादी से निर्मित ध्वजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(7) समस्त विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय समितियों के साथ बैठक कर तिरंगा अपने प्रतिष्ठानों में सी0एस0आर0 संसाधनों के माध्यम से क्रय कर फहराये जाए।

(8) मा0 जनप्रतिनिधिगण के साथ भी पृथक से बैठक कर उन्हें कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी जाये।

(9) गृह विभाग सुनिश्चित करे कि पुलिस विभाग के पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्रियाशील रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य झण्डा गीत, राष्ट्रीय गीतों के साथ ही सांघ हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में सूचनाओं का प्रसारण होता रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य गृह विभाग द्वारा शहीद स्मारकों पर राष्ट्रध्वज के साथ पुलिस/पी0ए0सी0 बैण्ड का वादन किया जाए।

(10) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक समस्त सरकारी भवनों पर तिरंगा लाइटिंग करायी जाए।

(11) नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं साइनेज भी लगवाये जाए।

(12) समस्त शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आयोजन के संबंध में शासन से निर्गत आदेशों का प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(13) सेल्फी/रील्स/वीडियो/झण्डे के साथ फोटो अथवा देशभक्ति/झण्डागीत के साथ वीडियो अभियान से जुड़ी वेबसाइट harghartiranga.com पर अपलोड करने हेतु आमजनमानस को प्रेरित किया जाए।

### 3- योजना का कार्यान्वयन-

(1) हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा झण्डा संहिता में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया है। (संलग्नक-1)

(2) हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए। (संलग्नक-2)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3) हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रभावी समन्वय हेतु जनपदों द्वारा की गयी कार्यवाही की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट <https://culturalevents.in> पर उपलब्ध गूगल लिंक के माध्यम से अपलोड किया जाए।

4- 'हर घर तिरंगा' अभियान के कार्यान्वयन हेतु समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
पुलिस आयुक्त द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद	सदस्य
मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
जिला विकास अधिकारी	सदस्य
जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
उप निदेशक/जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
उपनिदेशक पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटक अधिकारी	सदस्य
सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
कार्यक्रम अधिकारी (एकीकृत बाल विकास योजना)	सदस्य
जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
प्राचार्य, आईटीआई	सदस्य
जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य
समन्वयक-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन	सदस्य
एनओसीओ के अधिकारी/एनओएसओ के समन्वयक	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित उद्योग मण्डलों/व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधिगण	सदस्य
जिला पंचायतीराज अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार गठित समिति के सदस्यों की सूची दृष्टान्त के रूप में है। जिलाधिकारी अपनी सुविधानुसार इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इसी प्रकार से

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanapush.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



समितियों को गठन करा लिया जाए जिसमें एक जिला स्तरीय एक अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाये।

अतएव उचरोक्त निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संतप्रक-यथोक्त।

भवदीय,  
मनोज कुमार सिंह  
मुख्य सचिव।

**संख्या - 278 /2024/ 2162(1) /सा-2024, तदिनांक।**

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
मुकेश कुमार मेश्राम  
प्रमुख सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-1

File No: 02/01/2020-Public (Part-III)  
 Government of India  
 Ministry of Home Affairs  
 (Public Section)  
 \*\*\*\*\*

North Block, New Delhi  
 Dated 30<sup>th</sup> December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002- Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi hunting".

  
 (Vijay Kumar)

Deputy Secretary to the Government of India  
 Tele No. 2309 3101

To

The Chief Secretaries/Administrators of  
 All State Governments/UT Administrations,  
 Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice - President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

  
 (Vijay Kumar)

Deputy Secretary to the Government of India  
 Tele No. 2309 3101

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## संलग्नक-2

## झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

- 1- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
- 2- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
- 3- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
- 4- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
- 5- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## झण्डा फहराने के नियम

- 1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
- 2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
- 3- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
- 4- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- 5- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
- 6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
- 7- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

मुकेश कुमार भेस्राम,

प्रमुख सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

गृह/नगर विकास/पंचायती राज / ग्राम्य विकास/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन /हथकरघा/खाद्य एवं रसद/राजस्व/महिला एवं बाल विकास/ खादी एवं ग्रामोद्योग/चिकित्सा शिक्षा/ कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान/वन/पर्यटन/उच्च शिक्षा/वैसिक शिक्षा /माध्यमिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/ व्यावसायिक शिक्षा/सूचना एवं जनसम्पर्क/खेल व युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।

3. पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।

संस्कृति विभाग

लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2024

विषय: 'हर घर तिरंगा' अभियान एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के आयोजन हेतु मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 'हर घर तिरंगा' अभियान एवं काकोरी ट्रेन एक्शन के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" का भव्य आयोजन किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में प्रदेश में हो रही तैयारियों हेतु मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता दिनांक 03 अगस्त, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे 5, कालिदास मार्ग पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया प्रस्तावित समीक्षा बैठक में उक्त आयोजन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही/तैयारियों की सूचना सहित स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

Signed by भवदीय

Mukesh Kumar Meshram

Date: 02/08/2024 11:30

प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, 5 कालिदास मार्ग।